भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 फार्म बी [विनियम 10 देखे]
रजिस्ट्रीकरण

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015 FORM B [See regulation 10]

REGISTRATION

समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42 डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वरा **के 2 वि यस इन्सुरेंस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड "** को उपर्युक्त अधिनियम के अधीन बीमा विपणन फर्म (आई एम एफ) के रूप मे कार्य करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान करता है। उक्त बीमा विपणन फर्म के लिए रजिस्ट्रीकरण कूट **आई एम एफ 07351120230639** है। In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 42D Insurance Act, 1938 (4 of 1938) as amended from time to time, the Authority hereby grants a registration to

"K2VS Insurance Marketing Private Limited."

to act as **Insurance Marketing Firm** (IMF) under that Act. Registration Code for the Insurance Marketing Firm is "**IMF07351120230639"**

1. उक्त बीमा विपणन फर्म (आई एम एफ) को **महाराष्ट्र** राज्य के **मुंबई** जिला में कार्य करने की अनुमित दी जाएगी। The IMF shall be allowed to operate in **Mumbai** district of **Maharashtra** State.

2. **कार्यकलापों का विस्तार:**
Scope of Activities:

बीमा उत्पादों की अपेक्षा करना अथवा उन्हे प्राप्त करना Soliciting or Procuring Insurance Products	✓

3. यह रजिस्ट्रीकरण **21.11.2023** से **20.11.2026** तक वैध होगा।
This Registration shall be valid from **21.11.2023** to **20.11.2026**.

4. यह रजिस्ट्रीकरण समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) एवं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 के अधीन है तथा इसके संबंध मे यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी अन्य अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के अनुपालन मे अथवा उनके अनुरूप है।
This Registration is subject to the Act, as amended from time to time, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules or regulations.

स्थान : हैदराबाद

Place: Hyderabad
दिनांक/Date: 21.11.2023

आदेशानुसार By Order

ANITA JOSYULA
Digitally signed by ANITA JOSYULA
Date: 2023.11.21 16:10:28 +05'30'

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से।
For and on behalf of Insurance Regulatory and Development Authority of India